

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या—972 / 2018

आदेश दिनांक

06.08.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री भरत सैनी, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता को सुना गया।

प्रत्यर्थीगण को धारा-5, परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र के चार सप्ताह की वापसी के नोटिस जारी किए जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण इस हेतु आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
M-43



सत्यमेव जयते